संख्या-45/2023/001-100324-1-2023-45-2023

प्रेषक,

प्रभंजन यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन |

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊः 31 मार्च, 2023**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना एवं सौभाग्य योजना के अन्तर्गत एस0जी0एस0टी0 एवं वैट की भांति लेबर सेस एवं राज्य के अन्य करों के भुगतान की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या- 1937/अधि0नि0/निधि-।।/आय-व्ययक/2022-23/426, दिनांक 17 मार्च, 2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में ऊर्जा विभाग के अनुदान संख्या-9 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 / डिस्कॉम्स अन्तर्गत आर0डी0एस0एस0 के अन्तर्गत स्मार्ट मीटरिंग के राज्यांश के संदर्भित लेखाशीर्ष / मद 4801-05-190-8908-30 में प्राविधानित धनराशि रुपये 737,80,00,000/- (रुपये सात सौ सैंतीस करोड़ अस्सी लाख मात्र) में से धनराशि रूपये 75,00,00,000/- (रुपये पचहत्तर करोड़ मात्र) को संलग्न बी0एम0-9 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से लेखाशीर्ष 4801-05-190-06-30 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति एवं सौभाग्य योजना के अन्तर्गत एस0जी0एस0टी0 एवं वैट की भांति लेबर सेस एवं राज्य के अन्य करों के भुगतान की प्रतिपूर्ति मद में करते हुए धनराशि रूपये 75,01,00,000/- (रुपये पचहत्तर करोड़ एक लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित है उस मद की सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जाएगा।

(2) पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाले आडिट आपत्ति हेतु निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 उत्तरदायी होंगे।

(3) किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायित्व निदेशक (वित्त) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 का होगा।

(4) स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप दिनांक 07 जून, 2022 एवं समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उपर्युक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृति धनराशि का आहरण डिस्काम्स को लेबर सेस एवं राज्य के

अन्य करों के भुगतान के अनुसार किया जायेगा एवं उक्त धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(6) निदेशक (वित्त), 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी क्लेम के सापेक्ष दोहरा भुगतान न होने पाये।

(7) उपर्युक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग -1 के प्रपत्र संख्या-42 जी /शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई। 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग- 1. उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 75,01,00,000/- (रुपये पचहत्तर करोड एक लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022 2023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 009 लेखा शीर्षक 4801051900600 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (11वीं, 12वीं एवं नवीन) तथा सौभाग्य योजना के अन्तर्गत एस0जी0एस0टी0 एवं वैट की भांति लेबर सेस एवं राज्य के अन्य करों के भुगतान की प्रतिपूर्ति मानक मद 30 निवेश / ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-208-X-2022-23- दिनांक 31 मार्च, 2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

सादर,

प्रभंजन यादव
अनु सचिव

संख्या-45/2023/001-1003 (1)-24-1-2023-45-2 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

2- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि0, कोर- 4, स्कोप काम्प्लेक्स, 7- लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001

4- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001

5- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच. अलीगंज, लखनऊ।

6- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

7- वित्त (वयय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/गार्ड बुक

आज्ञा से

प्रभंजन यादव
अनु सचिव